

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. †1222

ANSWERED ON MONDAY, 08 DECEMBER, 2025/ AGRAHAYANA 17, 1947 (SAKA)

National Pension System

†1222 SHRI RAHUL KASWAN

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the total investment made in infrastructure projects in the State of Rajasthan during the last five years under the National Pension System (NPS) and the sectors (roads, energy, urban development, water management etc.) which has been made;
- (b) whether Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has scheme-wise, year-wise, and asset-class-wise (Government securities, corporate bonds, infra bonds, InvITs) details of infrastructure investment in Rajasthan, if so, the details thereof;
- (c) whether the Union Government or PFRDA is making any policy reforms to increase NPS Investments through new infrastructure bonds, municipal bonds, green bonds or InvIT/REIT in Rajasthan, if so, the details thereof; and
- (d) whether any special investment structure, guarantee model or risk-free mechanism is proposed to attract NPS funds in Rajasthan's mega projects such as expressways, solar parks, irrigation projects and urban transport and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) to (d) The investment guidelines issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) allow Pension Funds to invest National Pension System (NPS) funds in various asset classes, viz Government Securities, Corporate Debt Securities, Equities, Asset Backed Securities, Trust Structured Investments and Miscellaneous Investments. These investment guidelines define the universe of permissible investments by Pension Funds for the schemes managed by them and Pension Funds have the fiduciary responsibility to prudently invest the funds so as to maximise returns and minimise volatility and risks. The investments made by Pension Funds in debt securities of issuing entities may, inter alia, be invested in infrastructure sector. However, these investments are not captured on the criteria of projects, regions or locations. The investment guidelines permit investment in following Debt and Related Investments:

- i. Debt securities issued by Real Estate Investment Trusts (REITs) regulated by the Securities and Exchange Board of India.
- ii. Debt securities issued by Infrastructure Investment Trusts (InvIT) regulated by the Securities and Exchange Board of India.
- iii. The following infrastructure related debt instruments

- Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) debt securities issued by body corporates engaged mainly in the business of development or operation and maintenance of infrastructure, or development, construction or finance of affordable housing. Further, this category shall also include securities issued by Indian Railways or any of the body corporates in which it has majority shareholding. This category shall also include securities issued by any Authority of the Government which is not a body corporate and has been formed mainly with the purpose of promoting development of infrastructure
 - Infrastructure and affordable housing Bonds issued by scheduled commercial bank.
 - Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) securities issued by Infrastructure Debt Funds operating as a Non-Banking Financial Company and regulated by Reserve Bank of India.
 - Listed (or proposed to be listed in case of fresh issue) units issued by Infrastructure Debt Funds operating as a Mutual Fund and regulated by Securities and Exchange Board of India.
 - Listed or proposed to be listed credit rated Municipal bonds. (The Municipal Bonds should be rated 'AAA' or equivalent in the applicable rating scale by at least two credit rating agencies registered with SEBI.)
- iv. Sovereign Green Bonds are already permitted under Government Securities and Related Investments.

The investments made in infrastructure sector from NPS funds during the last five years are as below:

Market Value (Rs in Cr.) as on:					
31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	30.09.2025
1,35,816	1,39,531	1,65,289	1,81,901	2,35,153	2,48,422

Source: PFRDA

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1222

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1222. श्री राहुल कस्वां:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अवसंरचना परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया है और किन-किन क्षेत्रों (सड़क, ऊर्जा, शहरी विकास, जल प्रबंधन आदि) में निवेश किया गया है;
- (ख) क्या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास राजस्थान में अवसंरचना निवेश का योजना-वार, वर्ष-वार और परिसंपत्ति वर्ग-वार (सरकारी प्रतिभूतियां, कारपोरेट बांड, इन्फ्रा बॉन्ड, आईएनवीआईटी) ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार या पीएफआरडीए राजस्थान में नए अवसंरचना बांडों, म्यूनिसिपल बांडों, ग्रीन बॉन्ड या आईएनवीआईटी/आरईआईटी के माध्यम से एनपीएस निवेश को बढ़ाने के लिए कोई नीतिगत सुधार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या राजस्थान के मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे, सौर पार्क, सिंचाई परियोजनाओं और शहरी परिवहन जैसी वृहत परियोजनाओं में एनपीएस निधि को आकर्षित करने के लिए कोई विशेष निवेश संरचना, गारंटी मॉडल या जोखिम-मुक्त तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देश पेंशन निधि को विभिन्न आस्ति श्रेणियों अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों, इक्विटी, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों, ट्रस्ट संरचित निवेशों और विभिन्न निवेशों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को निवेश करने की अनुमति देता है। ये निवेश दिशानिर्देश पेंशन फंडों द्वारा उनके द्वारा प्रबंधित योजनाओं के लिए पूरे क्षेत्र के अनुमेय निवेश को निर्धारित करते हैं और पेंशन निधियों की प्रत्ययी जिम्मेदारी है कि वे निधियों को विवेकपूर्ण रूप से निवेश करें ताकि रिटर्न को अधिकतम किया जा सके और अस्थिरता और जोखिमों को कम किया जा सके। पेंशन निधियों द्वारा जारीकर्ता संस्थाओं की ऋण प्रतिभूतियों में किए गए निवेश, अन्य बातों के साथ-साथ, अवसंरचना क्षेत्र में निवेश किए जा सकते हैं। हालांकि, इन निवेशों को परियोजनाओं, क्षेत्रों या स्थानों के मानदंडों पर शामिल नहीं किया जाता है। निवेश दिशानिर्देश निम्नलिखित ऋण और संबंधित निवेशों में निवेश की अनुमति देते हैं :

- i. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों (आरईआईटी) द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां।
- ii. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां।
- iii. निम्नलिखित बुनियादी ढांचे से संबंधित ऋण साधन

- सूचीबद्ध (या नए निर्गम के मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्ताव) मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास या संचालन और रखरखाव, या विकास, निर्माण या किफायती आवास संबंधी वित्त में लगे कॉर्पोरेट निकाय द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां। इसके अलावा, इस श्रेणी में भारतीय रेलवे या किसी भी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा जारी प्रतिभूतियां भी शामिल होंगी, जिनमें इसकी बहुलांश हिस्सेदारी है। इस श्रेणी में सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिभूतियां भी शामिल होंगी जो एक कॉर्पोरेट निकाय नहीं है और मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बुनियादी ढांचा और किफायती आवास बांड।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम करने वाली और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध (या नए निर्गम के मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित) प्रतिभूतियां।
- म्यूचुअल फंड के रूप में काम करने वाले और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध (या नए निर्गम के मामले में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित) इकाइयां।
- सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने वाले प्रस्ताव क्रेडिट रेटेड म्यूनिसिपल बॉन्ड। (सेबी के साथ पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड को लागू रेटिंग स्केल में 'एएए' या समकक्ष रेटिंग दी जानी चाहिए)

iv. सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय (सॉवरेन) ग्रीन बॉन्ड की अनुमति पहले से ही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनपीएस फंड से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में किए गए निवेश इस प्रकार हैं :

निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार बाज़ार मूल्य (करोड़ रुपये में):					
31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	30.09.2025
1,35,816	1,39,531	1,65,289	1,81,901	2,35,153	2,48,422

स्रोत: पीएफआरडीए
